

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मुख्यदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉची/हजारीबाग/
मुख्य अभियंता (यॉ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉची, दिनांक : 14.4.16

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	5715.650

कुल आवंटित राशि - रुपये संतावन करोड़ पन्द्रह लाख पैसठ हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट उपबंध राशि ₹ 11095.08 लाख (एक सै दस करोड़ पंचानबे लाख आठ हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681 दि० 10.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
11. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापन कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापन प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Access No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 08

रॉची, दिनांक :- 19.4.16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/गुमला/चाईबासा/खूँटी/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/हजारीबाग/जामताड़ा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 08

रॉची, दिनांक :- 19.4.16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त

(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना प्रयांक.....
मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

08 दिनांक 10.4.16 का अनुमति

परिशिष्ट I

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2016-2017	वित्तुत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			वित्तुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										राशि लाख रूपये में	
		वेतन	एलएडी010	यात्रा व्यय	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रिया, दूर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां इंधन एवं	शीर्ष-07-अन्य व्यय	शिक्ति प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	मुख्य अभि०, अभिम योजना, संचि	20.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	21.10			
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, देवघर	72.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	73.10			
3	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, संचि	125.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	126.10			
4	मुख्य अभि० यांत्रिक, संचि	28.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.40	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	29.50			
5	अभिम योजना अंचल दुमका	8.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	8.85			
6	अभिम योजना अंचल संचि	9.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	9.90			
7	जलपथ अंचल, गुमला	78.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	78.90			
8	जलपथ अंचल, चार्ईबासा	85.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	85.90			
9	जलपथ अंचल, दुमका	50.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	50.90			
10	जलपथ अंचल, संचि	134.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	134.90			
11	जलपथ अंचल, हजारीबाग	70.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	70.90			
12	रूपांकण आयोजन एवं मॉनिटरिंग अंचल, संचि	86.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	86.90			
13	रूपांकण अंचल, देवघर	55.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	55.90			
14	सिंचाई अंचल, जसीडीह	76.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	76.90			

(रवेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन वारसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

वित्तीय वर्ष 2016-2017		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तों		विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	इंधन एवं	विविध प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
15	सिचाई अंचल, जामताड़ा	54.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	54.90								
16	सिचाई अंचल, मधुपुर	62.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	62.90								
17	सिचाई अंचल, साहेबांज	55.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	55.90								
18	सिचाई यांत्रिक अंचल ,सैंची	25.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	25.90								
19	अग्रिम योजना प्र० दुमका	8.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40								
20	अग्रिम योजना प्र०, सैंची	93.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	93.45								
21	अग्रिम योजना प्र० साहेबांज	8.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	8.70								
22	आयोजना गुण नियंत्रण एवं मो० प्रमंडल, देवघर	114.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	114.75								
23	गंगा पम्प नहर प्रमंडल , साहेबांज	130.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	130.75								
24	गुण नियंत्रण प्रमंडल, सैंची	182.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	182.75								
25	जलपथ प्रमंडल, खुंटी	208.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	208.75								
26	जलपथ प्रमंडल, गुमला	132.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	132.45								
27	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चकधरपुर	142.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	142.45								
28	जलपथ प्रमंडल सं.-2, हजारीबाग	97.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	97.45								
29	जलपथ प्रमंडल सं.-1,बैनपुर शिविर गुमला	100.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100.45								
30	जलपथ प्रमंडल सं.-2,बैनपुर गुमला	62.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	62.45								

(हस्ता कुमासी)
सहायक अभियंता

(मुद्रित साधन धारसिय)
उप सचिव (अभिन)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

08
19.4.16

7/5

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2016-2017	विरसुत शीर्ष-01-वेतन एवं मत्ते			विरसुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरसुत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरसुत शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
		वेतन	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दस्ते, कार	आपूर्ति एवं सामग्री	दूभाष	नर्दी	विद्युत व्यय	इंधन एवं मोटरगाड़ियां	विविध प्रभार	कुल योग	अभिव्यक्ति						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
31	जलपथ प्रमंडल सं.-1, सिमडेगा	175.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	175.75							
32	पुनर्वास पदाधिकारी, देवघर	60.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.40							
33	पुनर्वास पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, राँची	70.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	70.75							
34	पुनासी बॉय प्रमंडल, पुनासी शिबिर-देवघर	137.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	137.75							
35	पुनासी स्त्रीलवे प्रमंडल, पुनासी देवघर	144.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	144.45							
36	रूपकण प्रमंडल सं.-2, देवघर	55.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.40							
37	रूपकण प्रमंडल सं.-4, देवघर	78.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.40							
38	रूपकण प्रमंडल सं.-2, राँची	250.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	250.45							
39	लघु विवरणी प्रमंडल, कुलडंगाल	45.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	45.45							
40	विशेष मू-अर्जन पदा0, चार्डबासा	112.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	112.75							
41	विशेष मू-अर्जन पदा0 तेनुघाट परियोजना, हजारीबाग	90.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	90.70							
42	विशेष मू-अर्जन पदा0, देवघर	120.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	120.75							
43	विशेष मू-अर्जन पदा0 मध्यम सिंचाई परियोजना, दुमका	95.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	95.70							
44	विशेष मू-अर्जन पदा0, राँची	143.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	143.75							
46	सिंचाई प्रमंडल, कुंडहित	130.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.40							

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति सुब्रह्म चौरसिया)
उप सचिव (अतिरिक्त)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

[Signature]

[Signature]

[Signature]

08
19.4.16

वित्तीय वर्ष 2016-2017		विरुत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते		विरुत शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुत शीर्ष-04-मोटरगाडियां		विरुत शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रिया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	दर्दी	विरुत व्यय	मोटरगाडियां इंधन एवं	विविध प्रकार	कुल योग	अभिवृत्ति							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
47	सिवाई प्रमंडल गोड्डा, शिविर-महागामा	200.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	200.45								
48	सिवाई प्रमंडल, जसीडीह	127.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	127.75								
49	सिवाई प्रमंडल, जामताड़ा	123.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	123.45								
50	सिवाई प्रमंडल, दुमका	113.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	113.45								
51	सिवाई प्रमंडल, देवघर	203.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	203.75								
52	सिवाई प्रमंडल, नाला	70.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	70.45								
53	सिवाई प्रमंडल, पाकुड़	65.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	65.45								
54	सिवाई प्रमंडल, बड़हरवा	98.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	98.45								
55	सिवाई प्रमंडल, सिकटिया	80.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40								
56	सिवाई प्रमंडल, सं०-1, बरहेट	86.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40								
57	सिवाई प्रमंडल, सं०-2, जामताड़ा	80.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40								
58	सिवाई प्रमंडल सं.-2, सिकटिया	86.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	86.75								
59	सिवाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर	128.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	128.75								
60	सिवाई यांत्रिक प्रमंडल, रेंची	144.00		0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	144.75								
आवंटन का योग		5675.00	0.00	11.80	12.90	0.00	0.40	2.55	0.00	0.00	13.00	0.00	5715.65								

आवंटित राशि -

रुपये सतावन करोड़ पन्द्रह लाख पैंसठ हजार मात्र

(स्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

08/11/2017

08

19.11.16

08/11/2017